

2022/192

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
34/22	212 RTA	बाणिया	दकडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मांगीलाल		बनाम	भंवरसिंह

वकील :- मोहन क्लरिफ एंडो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
18/5/22	अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04-07-2022 को पेश हो।	
4/7/22	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24.8.22 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
21/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण की ओर से श्री शकेश सोनी एडवो. का बकालत नोटा पेश हुआ। पत्रावली हेतु सम्मन जारी है। वास्ते पत्रावली दिनांक 16/8/22 को पेश हो।	
16/8/22	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24.11.22 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
2/11/22	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13.11.22 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	ग्यारसीबाई

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

12.8.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा। जवाब पेश नहीं हुआ। मस्य चाहते हैं। पत्रावली वापिस जमान दिनांक 21.8.24 को पेश हो।

21.8.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा। जवाब पेश नहीं हुआ। मस्य चाहते हैं। पत्रावली वापिस जमान दिनांक 4.9.24 को पेश हो।

4.9.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा। जवाब पेश नहीं हुआ। मस्य चाहते हैं। पत्रावली वापिस जवाब दिनांक 24.9.24 को पेश हो।

24.9.24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ...6.11.24 .. को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

6.11.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा। जवाब पेश नहीं हुआ। Rs. 500/- कोष पर कतिपय अवसर दिया जाता है। आपन्दा कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, जवाब बन्ड कर दिया जाएगा। पत्रावली वापिस जवाब दिनांक 9.12.24 को पेश हो।

9.12.24 पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा। जवाब पेश नहीं हुआ। मस्य चाहते हैं। पत्रावली वापिस जमान दिनांक 21.12.24 को पेश हो।

जवाब